केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 322/टीएल/2023 दिनांक: 26.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

गुड़गाँव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड, विंडसोटर, प्रथम तल, यूनिट नं. 101, कलीना, सांताक्रुज ईस्ट, मुंबई 400098, महाराष्ट्र द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके बाद 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर 400/220 केवी परिथला (जीपीटीएल) एस/एस पर 220 केवी लाइन बे (जीआईएस) की स्थापना के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 और 79 (1) (ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की माँग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र सं.	पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र	मद विवरण	कार्यान्वयन टाइमफ्रेम
1.	परिथला एस/एस जीपीटीएल पर लाइन बे इन्टरकनेक्शन के लिए 220 केवी केबल सहित 220 केवी जीआईएस लाइन बे का 2 नं.	• 220 केवी लाइन बे (जीआईएस) – 2 नं. • लाइन बे इन्टरकनेक्शन के लिए 220 केवी केबल	31.3.2025
		कुल अनुमानित लागत :	**19.49 करोड़ रुपये**

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.9.2023 के अपने पत्र के माध्यम से उक्त पैरा–1 में उल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन के लिए गुड़गाँव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 322/टीएल/2023 में दिनांक 26.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

4. गुड़गाँव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.indigrid.co.in/documents-manager/** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **15.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **19.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता./–

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव